न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

निर्णय मि0स0 / 01 / 19

अ.धा. 90 क सपठीत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956

सरकार

बनाम

श्री हरीराम पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवारी रवाँ।

निर्णय दिनांकः—**28.08.2019**

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर वकील फरीकैन हाजीर। उपस्थित को सूना तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है, कि पटवारी हल्का रवाँ के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गई है की ग्राम रवाँ स्थित खातेदारी कृषि भूमि ख.न. 162 किस्म बारानी1 के रकबा 594 वर्ग फीट मे बिना स्वीकृति के श्री हरीराम पुत्र बीरबल जाति गुर्जर निवासी रवां के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर गैर सायल के नाम सबूत एवं सूनवाई हेतु 90 एल. आर.एक्ट सपठीतं धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसके जवाब मे गैर सायल ने जाहीर किया है कि उक्त भूमि पर पूर्वजो के समय से ही रहने लायक दो मकान व एक रसोई बनाये थे व पशुओ आदि को बांधने के लिये चारा आदि डालने के लिए टीन सैड बना रखा था। जिस पर गैर सायल काबिज चला आ रहा है। परन्तु बार—बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई सबूत आदि पेश नही किये।

अतः गैर सायल को सबूत अभाव मे प्रश्नगत भूमि पर से बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1 रूपया का 50 गुणा = 50 रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। तथा इसके साथ ही गैर सायल को पाबन्द किया जाता है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का निर्माण नही करे। टी.आर.ए. एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। तथा भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल—सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तक्मील जाप्ता दाखील दप्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं

Scanned by CamScanner